**वेब परिचालन**

# कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

**(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)**

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

**मुख्य कार्यालय**/Head Office

**भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066**

Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066

www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. हि.अ./ 4/2/98/2018/3185 दिनांक : 10 AUG 2018

सेवा में,

(1) सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)।

(2) निदेशक, पीडीयूएनएएसएस ।

**विषय: क.भ.नि.सं. के कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करने के संबंध में।**

महोदय,

सभी आंचलिक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों के सूचनार्थ प्रस्तुत है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ऐसे कार्यालय जहाँ अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या में से 80% ने कार्यसाधक ज्ञान /प्रवीणता प्राप्त कर ली है, को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया अपेक्षित है। साथ ही, राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत पूर्व में अधिसूचित किए गए वे कार्यालय जहाँ हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान /प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रतिशत अब 80% से कम हो गया है, को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालयों की श्रेणी से हटाया जाना भी अपेक्षित है ताकि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान सम्मुख आने वाली जटिलताओं का सामना न करना पड़े।

राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) तथा हिंदी में प्रवीणता प्राप्त एवं कार्यसाधक ज्ञान से संबंधित परिभाषाएं इस पत्र के साथ संलग्न हैं। इसके साथ-साथ मुख्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों की सूची भी इस पत्र के साथ संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालय सहित सभी अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में नीचे दिए गए प्रोफार्मा में प्रस्ताव सहित समेकित सूचना प्रेषित करें ताकि कार्यालयों को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने अथवा अधिसूचित कार्यालयों की श्रेणी से हटाए जाने संबंधी कार्रवाई की जा सके :

आंचलिक कार्यालय ..........................................(31.07.2018 को)

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम | कुल अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या | कुल संख्या में से कार्यसाधक / प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या एवं प्रतिशत | यदि कार्यालय नियम 10(4) के अंतर्गत पहले से अधिसूचित है तो उसकी तिथि (रिकार्ड की प्रति संलग्न करें) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

भवदीय,

10/8/18

संलग्न: उपर्युक्त

(के.एल.गोयल)
**अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त मुख्यालय/प्रभारी राजभाषा**

**प्रतिलिपि:**

सभी प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, : क्षेत्रीय कार्यालय/ आं.प्र.सं. / उप आं.प्र.सं. ।

अनुरोध है कि अपने कार्यालय से संबंधित उपर्युक्त सूचना तत्काल आंचलिक कार्यालय / पीडीनास को भेजें ताकि वे समेकित सूचना मुख्यालय को प्रेषित कर सकें। सूचना सीधे मुख्यालय प्रेषित न की जाए। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सीधे भेजे गए प्रस्तावों/ पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

**(डॉ. वीणा रानी यादव)**
**उप निदेशक (राजभाषा)**

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (मुख्यालय)
नई दिल्ली-110066

## राजभाषा विनियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालयों की सूची

| क्र.सं. | कार्यालय का नाम | अधिसूचित किए जाने की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | केन्द्रीय कार्यालय (दिल्ली) | 21.09.78 |
| 2 | क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली | 13.02.80 |
| 3 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, इन्द्रलोक | 16.05.2000 |
| 4 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, लक्ष्मी नगर | 20.08.07 |
| 5 | क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली दक्षिण (नेहरू प्लेस) | 11.04.07 |
| 6 | नाटरस | 21.06.2006 |
| 7 | क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद,आन्ध्र प्रदेश | 21.03.85 |
| 8 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, कडप्पा | 21.03.85 |
| 9 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापटनम | 15.10.88 |
| 10 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, निजामाबाद | 16.05.2000 |
| 11 | क्षेत्रीय कार्यालय,गुंटूर, (आन्ध्र प्रदेश) | 11.04.07 |
| 12 | क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार (पटना) | 21.09.78 |
| 13 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर | 10.12.90 |
| 14 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर | 21.03.85 |
| 15 | क्षेत्रीय कार्यालय, रांची | 13.02.80 |
| 16 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर | 10.12.90 |
| 17 | क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद, (गुजरात) | 13.02.80 |
| 18 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा | 15.10.88 |
| 19 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत | 13.02.80 |
| 20 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, राजकोट | 21.03.85 |
| 21 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, वापी | 16.05.2000 |
| 22 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, नरोड़ा | 28.12.2001 |
| 23 | क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद ,हरियाणा | 21.09.78 |
| 24 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल | 15.10.88 |
| 25 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक | 16.05.2000 |
| 26 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुड़गांव | 21.06.2006 |
| 27 | क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर (मध्य प्रदेश) | 21.09.78 |
| 28 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर | 15.10.88 |
| 29 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन | 13/20.09.99 |
| 30 | उप क्षेत्रीय कार्यालय,भोपाल | 13/20.09.99 |
| 31 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर | 13/20.09.99 |

283 9

| | | |
|---|---|---|
| 32 | क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर | 06.05.97 |
| 33 | क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर (राजस्थान) | 21.09.78 |
| 34 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा | 21.03.85 |
| 35 | उप क्षेत्रीय कार्यालय,उदयपुर | 15.10.88 |
| 36 | उप क्षेत्रीय कार्यालय,जोधपुर | 13/20.09.99 |
| 37 | क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ (पंजाब) | 21.09.78 |
| 38 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर | 13.02.80 |
| 39 | क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना | 10.12.92 |
| 40 | उप क्षेत्रीय कार्यालय,जालंधर | 16.05.2000 |
| 41 | उप क्षेत्रीय कार्यालय,भटिण्डा | 01.04.91 |
| 42 | क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला (हिमाचल प्रदेश) | 01.04.91 |
| 43 | क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश) | 13.02.80 |
| 44 | उप क्षेत्रीय कार्यालय,मेरठ | 21.09.78 |
| 45 | उप क्षेत्रीय कार्यालय,बरेली | 21.03.85 |
| 46 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा | 15.10.88 |
| 47 | उप क्षेत्रीय कार्यालय,गोरखपुर | 21.03.85 |
| 48 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ | 16.05.2000 |
| 49 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी | 21.03.85 |
| 50 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा | 26.09.2001 |
| 51 | क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून | 15.10.88 |
| 52 | उप क्षेत्रीय कार्यालय,हल्द्वानी | 21.03.85 |
| 53 | क्षेत्रीय कार्यालय, तिरूवनन्तपुरम (केरल) | 16.05.2000 |
| 54 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन | 09.02.87 |
| 55 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, कालीकट (कोझीकोड) | 10.2.90 |
| 56 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, कन्नूर | 16.05.2000 |
| 57 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोट्टायम | 21.06.2006 |
| 58 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम | 11.04.07 |
| 59 | क्षेत्रीय कार्यालय,मंगलौर (कर्नाटक) | 03.03.98 |
| 60 | क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूर (कर्नाटक) | 11.04.07 |
| 61 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, रायचूर | 11.04.07 |
| 62 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली | 21.03.85 |
| 63 | क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर (कर्नाटक) | 11.04.07 |
| 64 | क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई (महाराष्ट्र) | 13.02.80 |
| 65 | क्षेत्रीय कार्यालय,नागपुर | 13.02.80 |
| 66 | क्षेत्रीय कार्यालय,पुणे | 21.09.78 |
| 67 | क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे | 16.05.2000 |
| 68 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्हापुर | 19.10.87 |

(2828)

| | | |
|---|---|---|
| 69. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक | 01.04.1991 |
| 70. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद | 07.02.1994 |
| 71. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, मलाड | 16.05.2000 |
| 72. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, शोलापुर | 21.06.2006 |
| 73. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, वाशी | 11.04.2007 |
| 74. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, अकोला | 11.04.2007 |
| 75. | क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी (गोवा) | 15.10.1988 |
| 76. | क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता | 21.06.2006 |
| 77. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी | 16.05.2000 |
| 78. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, पोर्ट-ब्लेयर | 15.10.1988 |
| 79. | आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पश्चिमी क्षेत्र (उज्जैन) | 11.04.2007 |
| 80. | अपर कें.भ.नि.आ. का कार्यालय, वजीरपुर | 10.06.2008 |
| 81. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, उड्डुपि | 03.02.2010 |
| 82. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, पीण्या | 03.02.2010 |
| 83. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, राजमंड्री | 03.02.2010 |
| 84. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, सागर | 03.02.2010 |
| 85. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, दार्जीलिंग | 03.02.2010 |
| 86. | क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर | 31.08.2010 |
| 87 | उप क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्गापुर | 31.08.2010 |
| 88. | क्षेत्रीय कार्यालय, गुलबर्गा | 31.08.2010 |
| 89. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा | 31.08.2010 |
| 90. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, बोम्मसांद्रा | 31.08.2010 |
| 91. | उप क्षेत्रीय कार्यालय, ब्रह्मपुर | 31.08.2010 |
| 92. | आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी अंचल, कोलकाता | 31.08.2010 |
| 93 | आंचलिक कार्यालय, हरियाणा एवं राजस्थान | 08.09.2014 |
| 94 | आंचलिक कार्यालय, गुजरात एवं मध्य प्रदेश | 08.09.2014 |
| 95 | आंचलिक कार्यालय, महाराष्ट्र एवं छतीसगढ़ | 08.09.2014 |
| 96 | आंचलिक कार्यालय, कर्नाटक एवं गोवा | 08.09.2014 |
| 97 | आं.प्र.सं. उत्तरी क्षेत्र, फरीदाबाद | 08.09.2014 |
| 98 | उ.क्षे.का., इलाहाबाद | 08.09.2014 |
| 99 | उ.क्षे.का., शिमोगा | 08.09.2014 |
| 100 | उ.क्षे.का., चिक्कमंगलूर | 08.09.2014 |
| 101 | उ.क्षे.का., बेल्लारी | 08.09.2014 |
| 102 | उ.क्षे.का., मैसूर रोड़ | 08.09.2014 |
| 103 | उ.क्षे.का., के.आर.पुरम | 08.09.2014 |
| 104 | उ.क्षे.का., कुक्टपल्ली | 08.09.2014 |

2. केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

4. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा,जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

## 9. हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

a. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है;या

b. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

c. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

## 10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

1. a. यदि किसी कर्मचारी ने-

    i. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

    ii. केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;या

    iii. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

    b. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;

    तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

4. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;

    परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से

उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा । 3

**11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-**

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

3. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

**12. अनुपालन का उत्तरदायित्व-**

1. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह--

   i. यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है;और

   ii. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।

2. केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है ।

[भारत का राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: अगस्त, 2007

अधिसूचना

का.आ. (अ). -- केन्द्रीय सरकार, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. i. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम, 2007 है ।

   ii. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में -